भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 843

दिनांक 21 नवम्बर , 2019 / 30 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

छोटे शहरों से हवाई सेवाएं

843. श्री चुन्नी लाल साहु:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के छोटे शहरों से हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर चकरभाटा हवाई अड्डे, जो हवाई सेवाओं से जुड़े हुए है , के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): सरकार ने क्षेत्रीय संपर्कता योजना को किफ़ायती बनाते हुए इसे सरल बनाने/प्रोत्साहित करने के लिए 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की। आरसीएस-उड़ान एक बाज़ार आधारित व्यवस्था है। क्षेत्रीय हवाई संपर्कता मार्गों का विकास बाज़ारी, शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है और एयरलाइनें विशिष्ट मार्गों पर अपेक्षित माँग एवं आपूर्ति की प्रकृति का आकलन करती हैं तथा आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। कार्यान्वयन एजेंसी योजना की वैधता-अवधि के दौरान समय-समय पर बोली आयोजित करती है। आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत बोली के प्रथम चरण के बाद, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मार्ग चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को अवार्ड किए गए:

i) रायपुर – बिलासपुर

ii) बिलासपुर – अम्बिकापुर

iii) अम्बिकापुर – बिलासपुर

iv) बिलासपुर – रायपुर

v) रायपुर – झारसुगुदा

vi) झारसुगुदा – रायपुर

vii) रायपुर – रायगढ़

viii) रायगढ़ – रायपुर

ix) रायपुर – जगदलपुर

x) जगदलपुर – विशाखापट्नम

xi) विशाखापट्नम – जगदलपुर

xii) जगदलपुर – रायपुर

एसएओ अनुबंध के गैर-अनुपालन के कारण कार्यान्वयन एजेंसी ने इसे रद्द कर दिया। बाद के चरणों में कार्यान्वयन एजेंसी ने मार्गों की पुनः बोली लगाई है और एसएओ को निम्नलिखित मार्ग अवार्ड किए गए हैं:

i) जगदलपुर से भुवनेश्वर

ii) जगदलपुर से हैदराबाद

iii) जगदलपुर से रायपुर

iv) जगदलपुर से विशाखापट्नम

बिलासपुर और अम्बिकापुर से आरसीएस उड़ानों का प्रचालन करने के लिए कोई वैध बोली प्राप्त नहीं हुई है। आरसीएस-उड़ान के भावी चरणों में यदि कभी भी वैध बोली प्राप्त होती है तो उस पर योजना दस्तावेज़ के अनुसार विचार किया जाएगा। चयनित एयरलाइन प्रचालक, लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जाने के पश्चात 180 दिन की अवधि के भीतर, विशिष्ट मार्ग-प्रस्ताव अथवा नेटवर्क प्रस्ताव के भाग के रूप में, आरसीएस-मार्ग पर आरसीएस उड़ानों का प्रचालन आरंभ करने के लिए बाध्य है जब तक कि हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों की तैयारी, अवसंरचना अपेक्षाओं इत्यादि के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अतिरिक्त समय न दे दिया जाए।

*****